

(2.11)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण को वहन किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:— जनपद चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई के अन्तर्गत नरसिंह डोंडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग का निर्माण

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो भी धनराशि वनविभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, उस धनराशि को यथा समय प्रयोक्ता एजेन्सी (पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत) द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी। जिस हेतु आगणन में बजट का प्राविधान किया गया है।

ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी
सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत।

अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
चम्पावत